न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 21/2018 (राजसमन्द डिकी)

श्रीमती धापू पत्नी कालूराम जी जाट पुत्री उंकार जी जाट, निवासी लाठीयाखेड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सीता पत्नी भैरूलाल जी जाट पुत्री उंकार जी जाट, निवासी सिन्देसर कला, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. उदयराम मुतबन्ना उंकार जी जाट, निवासी बस स्टैण्ड के पास, कांकरोली रोड़, रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिकी उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा
दिनांक 15.07.2015, प्र. सं. 76/14

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत अभिभाशक अपीलान्ट

2. श्री एस.एस. पालीवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं॰ 1

3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———:::———

निर्णय दिनांक

24–07–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रेलमगरा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 की कुल किता 15 रकबा 58 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादिया का 4/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 4/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/9 हिस्सा है। अतः उपरोक्तानुसार विभाजन किया जाकर वादिया को खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 15–07–2015 से वादिया का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17–04–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री एस. एस. पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी है, जिससे उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश हो गये। दिनांक 03–04–2018 को जमाबन्दी की नकले निकलवाने पर अपीलान्ट को उक्त निर्णय की प्रथम बार जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त आवेदन के खण्डन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरावी नहीं करने का कथन मनगढ़न्त है। अपीलान्ट अपनी गलती के लिए

दूसरों पर दोषारोपण नहीं कर सकती। अतः आवेदन खारिज किया जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 25–03–2015 को नो इन्सट्रक्शन होना जाहिर किया, जिसकी किसी प्रकार की सूचना अपीलान्ट/ प्रतिवादी संख्या 2 को दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अतः मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर तहसीलदार से विभाजन योजना लिये जाने का उल्लेख किया है, किन्तु आदेशिका पर इस प्रकार की कोई तहरीर नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में बिना प्रारम्भिक डिक्री जारी किये सीधे ही अंतिम डिक्री जारी कर दी है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट 1 के विद्वान अभिभाषक अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि पत्रावली तनकियात पर चल रही थी एवं प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 16–07–2015 नियत थी, किन्तु इसके स्थान पर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15–07–2015 को ही प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर बिना तनकियात कायम किये एवं बिना प्रारम्भिक डिक्री जारी किये सीधे ही अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–07–2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों क साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायत कर उन पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर एवं उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24–09–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....रेलमगरा..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह..... 07.....2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03..... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।